12-3

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1946 (श0)
(सं0 पटना 764) पटना, सोमवार, 12 अगस्त 2024

पत्र संख्या–11/आ०–न्याय–73/2024 12679/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक 9 अगस्त 2024

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या– 18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज तांती (ततवा) जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को इस विषय के संबंध में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–15.07.2024 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नांकित आदेश संसूचित किए जाते हैं–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) को निरस्त किया जाता है।

(ii) उपर्युक्त कंडिका–(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण के क्रम में राज्य के तांती (ततवा) जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएँ पूर्व की भांति अनुमान्य होगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 (तत्काल विलोपित) पर तांती (ततवा) जाति को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाता है।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण तथा कंडिका–(ii) के द्वारा किए गए पुनर्स्थापन के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 की निर्गत तिथि 01.07.2015 से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश की तिथि दिनांक–15.07.2024 के बीच तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्ति हुई है, की सेवा बहाल/बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जायेगा। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिपथ रखते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों में समरूप पदों के लिए Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपादित की जाएगी।

(iv) तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के विरूद्ध कार्यरत हैं, के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 के निर्गत होने की तिथि से प्रासंगिक न्यायादेश पारित होने की तिथि दिनांक–15.07.2024 तक तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी अनुसूचित जाति कोटि से प्रोन्नति हुई है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में पदोन्नति ग्रेड में Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। इस क्रम में अनुसूचित जाति कोटि में प्राप्त रिक्तियों को यथास्थिति यथासमय अनुसूचित जाति कोटि के उम्मीदवारों से भरने की कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,
रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 764-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in